जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

15/16

विविध बैंक प्रकरण सं0 15/2016 पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1–श्री विजय कुमार मितल पुत्र श्री जगननाथ मितल 2–श्रीमति लक्ष्मी मितल पत्नि श्री विजयकुमार मितल 3–महक मिल पुत्र विजय कुमार मितल निवासी एफ–1 आनन्द विहार श्रीगंगानगर 4–मोहनलाल पुत्र किशोरी लाल 5–अजय कुमार मितल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–02–2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्द्र सिंह उपस्थित है। उनके द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि अप्रार्थीगण विजयकुमार मित्तल वगैरा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में विजयकुमार मित्तल ऋणी द्वारा बंधक रखी गयी सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण से ऋण राशि की वसूली हो चुकी है। इसलिए प्रार्थी बैंक प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया यह प्रा0 पत्र पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीगंगानगर के मुख्य प्रबन्धक द्वारा श्री विजयकुमार मित्तल वगैरा के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत दुकान न0 81, न्यू क्लॉथ मार्केट, सूरतगढ़ रोड़, नजदीक एस.डी.बिहाणी कॉलेज, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए वे अब इस प्रा0 पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। यदि इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसलिए यह प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर